

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294-2420064, 0294-2420237
ई-मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांक:-एफ 17/14/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2024/3302

दिनांक: 15.10.24

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा-19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
अपील संख्या-04/2024

Ashlesh Biradar,
Address:-I-1718, Chittaranjan Park,
New Delhi-110019

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर।

प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत हुई है-

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :-

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	03.07.2024
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	25.07.2024
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक	18.09.2024
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	01.10.2024
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	15.10.2024

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई -

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	Please provide information regarding how many orders suspending telecom services have been issued by your state under Rule 2(1) of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 since 10.01.2020.
2.	Please provide information regarding how many orders suspending telecom services have been issued by your state under Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885 since 10.01.2020.
3.	Please provide information regarding how many orders suspending telecom services have been issued by officials in your state under Section 144 of the

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294-2420064, 0294-2420237
ई-मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

	Code of Criminal Procedure, 1973 since 10.01.2020.
4.	Since 10.01.2020, how many orders suspending telecom services have been issued in your state by any officer other than the State Home Secretary.
5.	Please provide copies of all the orders suspending telecom services issued by your state since 10.01.2020.
6.	Please provide information regarding whether your state makes the orders suspending telecom publicly available. Please provide information regarding the medium through which such orders are made publicly available, including the website link, if any
7.	Please provide information regarding whether your state has constituted a Review Committee under Rule 2(5) of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017.
8.	Please provide copies of all the findings of the Review Committee issued under Rule 2(6) of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 since 10.01.2020.

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण का निर्णय:-

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 01.10.2024 पर उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 18.09.2024 को जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा अपील का जबाव दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत कर दिया तथा जबाव की प्रति भी प्रार्थी को प्रेषित कर दी है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.07.2024 को प्रस्तुत किया, जो कि कार्यालय में दिनांक 09.07.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कुल 39 पृष्ठों में थी। जिस पर निर्धारित समय के भीतर प्रार्थी को पत्र क्रमांक एफ 17/14/आर.टी.आई./2024/2415 दिनांक 25.07.2024 से प्रतिलिपि शुल्क 78 रुपये जमा कराने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराया है। अतः प्रतिलिपि शुल्क के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु निर्धारित समय के भीतर पत्र दिनांक 25.07.2024 प्रेषित किया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है।

अतः आदेशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी अभी भी सूचना लेना चाहता है तो वह 07 दिवस के भीतर प्रतिलिपि शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है तथा लोक सूचना अधिकारी


संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294-2420064, 0294-2420237
ई-मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

को निर्देशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराता है तो वह 03 दिवस के भीतर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करावें।

अतः अपील आज दिनांक 15.10.2024 को निस्तारित की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

दिनांक: 15/10/24

क्रमांक:-एफ 17/14/सू.का.अ./2024/3302
प्रतिलिपि:-

1. Ashlesh Biradar, Address:-I-1718, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)